न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(रामचरन शर्मा आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 37/2022
जीसीएमएस न0:– 2022/170
दायर दिनांक :– 11–10–2022
निर्णय दिनांक :– 01–12–2022

अनवान

मीठालाल पिता भोलीराम गुर्जर निवासी टाडावाडा सोलंकीयान तहसील गढबोर जिला राजसमन्द

–––––अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,गढबोर तहसील गढबोर जिला राजसमन्द

––––––––रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, गढबोर
प्रकरण संख्या 642/2018 निर्णय दिनांक 21.01.2019

उपस्थित :–
1– श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री अनिल कुमार बागोरा, राजकीय अधिवक्ता

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक 01.12.2022

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम टाडावाडा सोंलकीयान तहसील गढबोर की आराजी नम्बर 1386/379 रकबा 7 बीघा किस्म बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रिमी को बेदखल करने एवं भूमि पर अतिक्रिमी मानते हुये लगान का 50 गुणा शास्ति रूपये 350/– आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 21.01.2019 को पारित किया । अधिनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ठ होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है । प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है। धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय– की पत्रावली तलब की गयी । P.T.O.

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया है कि अपीलांट के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अपीलाण्ट ने उक्त भूमि जो कि किस्म मगरी थी उस पर काफी मेहनत कर भूमि को विकसित कर काश्त योग्य बनाया हैं और मगरी भूमि से काफी मेहनत कर लागत लगाकर इस भूमि को फसल उगाने जैसी विकसित की है। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया हैं । अपीलाण्ट का वर्षों से कब्जा आधिपत्य होने से धारा 91 की कार्यवाही के जरिये बेदखल नहीं किया जा सकता। माननीय सवौच्य न्यायालय ने भी राजस्थान राज्य बनाम मदमावती के मामले में उक्त प्रकार से की जा रही बेदखली की कार्यवाही को विधि विरूद्व एवं अवैध माना है। यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधिक आदेश की परिभाषा में भी नहीं आता हैं।अपीलाण्ट का वर्षो से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपने पास उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर नियमन करने की कार्यवाही करनी थी । लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्ड को देखा ही नहीं निर्णय को लिखाया ही नहीं और अपने मनमकसूद तरीके से आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है। अपीलार्थी ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा पारित किये गये निर्णय एवं दिये गये ऑब्जर्वेसन को दर किनार करते हुये आलोच्य आदेश पारित कर त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने मनमकसूद तरीके से केवल अपीलार्थी का एक वर्ष का कब्जा होना बताकर उक्त भूमि पर अपीलार्थी को अतिक्रमी बताने मे त्रुटि कारित की हैं जबकि माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा कब्जा पुराना मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय के फैसलों को अपास्त करते हुये प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश दिया गया। अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है और अपीलाण्ट द्वारा फसल प्राप्त की जा रही है। अपीलाण्ट उक्त भूमि अपने नाम पर नियमन कराने का भी अधिकारी है। राज्य सरका द्वारा बिलानाम भूमि पर नियमन करने हेतु परिपत्र कमांक प.–6(7) राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 में सिवाय चक भूमियों पर दिनांक 15.07.1994 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने की जारी निर्देशों में नियमन की दिनांक 15.07.1994 से बढाकर दिनांक 01.01.2000 तक कर दिया गया है। जबकि अपीलाण्ट का कब्जा 1994 से भी पूर्व का है। अपीलाण्ट का मामला नियमन योग्य हैं लेकिन उसे अपना पक्ष रखने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई अवसर नहीं दिया गया। अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व ग्राम टाडावाडा सोंलकीयान तहसील गढबोर की आराजी नम्बर 1386/379 रकबा 7 बीघा किस्म बिलानाम भूमि पर अतिक्रिमी द्वारा नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया । अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त सुनवाई एवं दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट द्वारा नियमित कब्जा सम्बन्धी कोई दस्तावेज ठोस सबूत साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रिमी के विरूद्व जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित प्रतीत होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी –

P.T.O.

कार्यवाही विधिसम्मत है और अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस, विधिक नजीरों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध, रिकार्ड, साक्ष्य एवं दस्तावेजो के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम टाडावाडा सोंलकीयान तहसील गढबोर की आराजी नम्बर 1386/379 रकबा 7 बीघा किस्म बिलानाम भूमि पर अतिक्रमी द्वारा नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया, जिसके संबंध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम सुनवाई पर ही फर्द अहकाम पर सील लगाते हुए छपे हुए प्रफोर्मा पर निर्णय पारित किया है, जबकि अपीलार्थी द्वारा इसी भूमि के संबंध में पूर्व में की गई 91 की कार्यवाही के आदेश के विरूद्ध मान0 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित प्रकरण संख्या 03/2016 (राजसमन्द आर्डर) निर्णय दिनांक 27.09.2016 में भी प्रकरण को तहसीलदार गढबोर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि "अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए नियमन की पात्रता, शर्ते एवं नियमन संभव है या नही, इस हेतु जॉच एवं सुनवाई कर नियमन योग्य पाये जाने पर भू आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित करें तथा यदि प्रकरण नियमन योग्य नहीं पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही करें।" हस्तगत प्रकरण में मान0 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित प्रकरण संख्या 03/2016 (राजसमन्द आर्डर) निर्णय दिनांक 27.09.2016 की अनुपालना प्रथम दृष्टया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही किया जाना प्रतीत होता है, साथ ही अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई का युक्तियुक्त एवं समुचित अवसर नहीं दिया है, अतः उपरोक्त के आधार पर न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार गढबोर द्वारा पारित आदेश **प्रकरण संख्या 642/2018 निर्णय दिनांक** 21.01.2019 को अपास्त किया जाता है, प्रकरण तहसीलदार, गढबोर को रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि वे उपरोक्त आर्ब्जरवेशन दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में पक्षकारों को युक्तियुक्त सुनवाई, साक्ष्य सबुत का समुचित अवसर प्रदान कर प्रचलित विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार जॉच कर प्रकरण का नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया जो शामिल पत्रावली रहे, संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हों। पत्रा0 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर रहें।

01/12/22.

(रामचरन शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द